न्यायालय—सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।

पीठासीन अधिकारी—शिव कुमार सिंह (एच0जे0एस0)

I.D No-UP 5743

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या—1054/2026

कम्प्यूटर पंजीकरण सं0—2346/2026

UPLP01005071-2026

सेठ उम्र लगभग 42 वर्ष पुत्र बुद्धा निवासी ग्राम बीबीपुर, थाना इमलिया सुल्तानुपर, जिला सीतापुर उ0प्र0।

बनाम

उ0प्र0 राज्य

मु0अपराध संख्या—138/2026
धारा 331(4), 305(ए), 317(2),
317(4) बी0एन0एस0,
थाना नीमगांव, जिला लखीमपुर खीरी।

20.07.2026

1— प्रस्तुत जमानत प्रार्थना—पत्र प्रार्थी/अभियुक्त सेठ की ओर से मुकदमा अपराध संख्या—138/2026, धारा 331(4), 305(ए), 317(2), 317(4) बी0एन0एस0, थाना नीमगांव, जिला लखीमपुर खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2— जमानत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना—पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

3— संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिनी अर्चना देवी द्वारा सम्बन्धित थाने पर दिनांक 17.04.2026 को इस आशय की तहरीर दी गयी कि आज दिनॉक—17.04.2026, की बीत रात उसके घर में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घुसकर उसका सोने व चॉदी का सामान एक सोने का माला, एक जोड़ी पायल तथा तीस हजार रूपया नगद जो कि घर के बक्से में रखा था, तोड़कर ले गये हैं, उसके द्वारा उक्त अज्ञात चोरों का पता लगाने की कोशिश की गयी लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल सका है। वादिनी की उक्त

तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अज्ञात के विरूद्ध उक्त मुकदमा धारा 331(4), 305ए बी0एन0एस0 में पंजीकृत किया गया। मामले की विवेचना प्रचलित है।

4– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल आधार यह लिये गये हैं कि घटना की रिपोर्ट अत्यन्त विलम्ब से अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है, विलम्ब का कोई कारण व चोरी गये जेवरात की रसीद दाखिल नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त नामजद नहीं है और न ही उसके पास से कुछ भी बरामद हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पुलिस की दबिश के कारण दिनॉक–21.05.2026 को विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त अपराध में आत्मसमर्पण प्रार्थना–पत्र दिया था, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा थाना नीमगांव से वांछित रिपोर्ट मांगी गयी थी। न्यायालय परिसर से बाहर निकलते ही थाना नीमगांव की पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार करके झूठी मुठभेड़ दिखाकर उसके पैर में गोली मारी व बुरी तरह से मारा–पीटा तथा मानव अधिकारों का उल्लंघन किया। न्यायालय परिसर के बाहर से प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना उसकी पत्नी सुषमा द्वारा तत्काल मुख्यमंत्री महोदय, जिलाधिकारी को दी गयी थी, जिससे उसकी अन्य जगह से गिरफ्तारी व बरामदगी की बात गलत साबित हो जाती है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसको रंजिश के आधार पर झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है, जमानत पर मुक्त होने के बाद वह जमानत सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगा। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा के घर से कथित सामान की चोरी की है, जिसकी बरामदगी भी उसके पास से हुयी है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6– जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से प्रथमदृष्टया विदित है कि तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरूद्ध धारा 331(4), 305ए बी0एन0एस0 के अन्तर्गत दर्ज

करायी गयी थी। दिनॉक–22.05.2026, को संबंधित थाने की पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाना तथा उसके पास से प्रश्नगत मामले से संबंधित एक जोड़ी पायल सफेद धातु, पॉच हजार रूपये नगद बरामद किया जाना बतलाया गया है। तथाकथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र जन साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 22.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8– अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना राय व्यक्त किये हुये प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त सेठ द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को मु0–75,000/–रूपये (पचहत्तर हजार रूपये) का स्वबंधनामा तथा समान राशि की एक प्रतिभू, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि का प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

1– प्रार्थी/अभियुक्त मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा या उन पर कोई दबाव डालने का प्रयास इत्यादि नहीं करेगा।

2–प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

3–प्रार्थी/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य नष्ट नहीं करेगा।

4–माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र पत्रांक 19/एडमिन–जी–2 दिनांकित 03.07.2017 इलाहाबाद के अंतर्गत आपराधिक अपील सं0 2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत प्रार्थी/अभियुक्त के जमानतनामें स्वीकृत करते समय प्रतिभुओं के स्थायी व अस्थायी पता विवरण के साथ प्रतिभुओं के शिनाख्ती प्रपत्र भी पृथक से दाखिल किया जावेगा।

(शिव कुमार सिंह)
दिनॉक–20.07.2026 सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.29 10:54:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court